



**INFUSION NOTES**

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

# RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE  
COMMISSION

प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा हेतु

भाग - 4

समाजशास्त्र + प्रबंधन + लेखांकन एवं अंकेक्षण

## प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “RAS (Rajasthan Administrative Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams” भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : [contact@infusionnotes.com](mailto:contact@infusionnotes.com)

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

Whatsapp Link- <https://wa.link/uwc5lp>

Online Order Link- <https://bit.ly/3X6MGue>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2024)

	समाजशास्त्र	
क्र.सं.	अध्याय	पेज नं.
1.	<p>भारत में सामाजिक विचार</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• समाज शास्त्र का विकास</li> <li>• भारतीय समाज में जाति और वर्ग <ul style="list-style-type: none"> <li>○ प्रकृति, उदभव, प्रकार्य, चुनौतियाँ</li> </ul> </li> <li>• जाति और वर्ग में अंतर</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	1
2.	<p>परिवर्तन की प्रक्रियाएँ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• संस्कृतिकरण <ul style="list-style-type: none"> <li>○ संस्कृतिकरण की विशेषताएँ , आलोचना, कारक, प्रभाव</li> </ul> </li> <li>• पश्चिमीकरण <ul style="list-style-type: none"> <li>○ परिणाम, भूमिका, विशेषताएँ</li> </ul> </li> <li>• लौकिकीकरण <ul style="list-style-type: none"> <li>○ कारण, कारक, प्रभाव</li> </ul> </li> <li>• भूमण्डलीकरण <ul style="list-style-type: none"> <li>○ उद्देश्य, विशेषताएं, प्रभाव, पक्ष व विपक्ष के तर्क, समस्याएं</li> </ul> </li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	7
3.	<p>भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• दहेज</li> <li>• तलाक</li> <li>• बाल विवाह</li> <li>• भ्रष्टाचार</li> <li>• साम्प्रदायिकता</li> <li>• निर्धनता एवं बेरोजगारी</li> </ul>	29

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कमजोर वर्ग एवं दलित</li> <li>• वृद्ध और दिव्यांग</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
4.	<b>राजस्थान में जनजातीय समुदाय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• भील , मीणा, गरसिया, इत्यादि</li> <li>• प्रमुख समस्याएं एवं उनका कल्याण</li> </ul>	29
	<b>प्रबंधन</b>	
1.	<b>विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन</li> <li>• आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रचालन तंत्र,</li> <li>• ई वाणिज्य, ई - विपणन, व्यवसाय तथा निगम आचारनीति</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	38
2.	<b>धन के अधिकतमकरण की अवधारणा,</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• वित्त के स्रोत - अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन,</li> <li>• पूँजी बाजार</li> <li>• बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ</li> <li>• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)</li> <li>• विदेशी संस्थागत निवेश</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	63
3.	<b>नेतृत्व के सिद्धांत तथा शैलियाँ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार</li> <li>• समूह व्यवहार,</li> <li>• व्यक्तिगत व्यवहार,</li> <li>• अभिवृत्ति, मूल्य,</li> <li>• टीम तथा आँकलन प्रणाली</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	84
4.	<b>उद्यमिता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• उद्भवन</li> <li>• स्टार्ट अप्स</li> <li>• यूनिकॉर्न</li> <li>• उद्यम पूँजी</li> </ul>	116

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एजल निवेशक</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	
5.	<p>अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• शिक्षा प्रबंधन</li> <li>• हेल्थकेयर तथा वेलनेस प्रबंधन</li> <li>• पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	124
	लेखांकन एवं अंकेक्षण	
1.	<p>लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• पुस्तपालन (बुक कीपिंग)</li> <li>• रोजनामचा, खाताबही, ट्रायल बैलेंस (तलपट),</li> <li>• लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा इत्यादि</li> <li>• वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें</li> <li>• उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन</li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	129
2.	<p>अंकेक्षण</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अर्थ एवं उद्देश्य ,</li> <li>• सामाजिक, निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण,</li> <li>• सरकारी अंकेक्षण की प्रारम्भिक जानकारी <ul style="list-style-type: none"> <li>○ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)</li> </ul> </li> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	161
3.	<p>निष्पादन बजट एवं शून्य आधारित बजट</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न</li> </ul>	170

## समाजशास्त्र

### अध्याय - 1

#### भारत में समाज शास्त्र का विकास

##### ❖ समाज शास्त्र का विकास :-

- 1914 मुम्बई विश्वविद्यालय में एक ऐच्छिक के रूप में अध्ययन प्रारम्भ ।
- 1919 में यहाँ नागरिक समाज समाजशास्त्र विभाग की स्थापना "पैट्रिक गिड्स" इसके पहले अध्यक्ष बने ।
- 1924 में गिड्स की जगह जी.एस. धूरिया अध्यक्ष बने ।
- 1917 में बी.एन शील के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र + समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो सकी ।
- 1920 में वी. एन शील के ही प्रयासों से "लखनऊ विश्वविद्यालय" समाजशास्त्र + अर्थशास्त्र विभाग की स्थापना ।
- राधा कमल मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने ।
- 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र + समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई । इरावती कर्वे इसकी प्रथम अध्यक्ष बनी ।
- 1920 में पहली बार समाजशास्त्र की शोध पत्रिका "Indian Journal Sociology" का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ ।

##### ➤ "भारतीय समाज में : जाति और वर्ग प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य, चुनौतियाँ"

##### ❖ समाज :-

- **समाज का सामान्य अर्थ :-** समाज शब्द का प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है । ब्रह्म-समाज आर्य समाज, हिन्दू समाज, जैन तथा पारसी समाज । लेकिन समाज शब्द का लोकप्रिय प्रयोग तकनीकी नहीं है ।
- समाजशास्त्र में "समाज" शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के बीच पाये जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था के लिये किया गया है ।
- **समाज का तकनीक प्रयोग :-** समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है ।
  1. समाज (अमूर्त रूप में)
  11. एक समाज (मूर्त रूप में)
- मैकीबर एवं पेज ने समाज की परिभाषाओं में निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है ।
  - (1) पारस्परिक जागरूकता
  - (2) समानता
  - (3) सहयोग एवं संघर्ष
  - (4) समाज अमूर्त है,
  - (5) पारस्परिक निर्भरता ।

##### समाज की विशेषताएँ :-

- एक से अधिक सदस्य
- वृहद संस्कृति
- क्षेत्रीयता ( जॉनसन के अनुसार )
- सामाजिक संबंधों का दायरा
- श्रम विभाजन
- काम (प्रजनन)
- पारस्परिक जागरूकता
- समाज में समानता एवं असमानता
- समाज अन्योन्याश्रिता पर आधारित है ।
- समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाये जाते हैं ।
- समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है ।

##### समाज के आवश्यक तत्व :-

- जीवित प्राणियों का संगठन ।
- जनसंख्या की निरन्तरता या सातत्य ।
- सामाजिक अन्तःक्रियाएँ ।
- श्रम का विभाजन
- आर्थिक व्यवस्था का सातत्य
- प्रेरणाएँ
- **"भारतीय समाज में जाति -** भारतीय समाज जातीय सामाजिक इकाइयों से गठित और विभक्त है। यह जातीय समूह एक ओर तो अपने आंतरिक संगठन से संचालित तथा नियमित है, दूसरी ओर उत्पादन सेवाओं के आदान-प्रदान और वस्तुओं के विनिमय द्वारा परस्पर संबद्ध है। भारतीय जाति ने धर्म को अपना आधार माना है।
- **जाति का अर्थ-** अंग्रेजी का 'Caste' शब्द पुर्तगाली शब्द 'Caste' से बना है। जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है। जाति-प्रथा जन्मजात भेद के आधार पर एक व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति-प्रथा के अंतर्गत ऊँच-नीच का जो संस्तरण होता है, उसका व्यवसाय, धन, शिक्षा या धर्म न होकर केवल जन्म होता है। संक्षेप में जाति जन्म के आधार पर सामाजिक उतार-चढ़ाव और खण्ड - विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने-पीने, विवाह, पेशे आदि के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है।
- **जाति की प्रकृति / विशेषताएँ -**
  - (1) जाति जन्म पर आधारित होती है, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का सदस्य बन जाता है।
  - (2) प्रत्येक जाति की एक परम्परागत व्यवस्था होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जजमानी व्यवस्था रही है। आज आधुनिकता के चलते नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, आदि के चलते जाति का परम्परागत व्यवसाय बहुत कम रह गया ।
  - (3) जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जाति हमेशा के लिए स्थायी होती है ।
  - (4) प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी जाति की सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक रहता है।

- (5) इसके अंतर्गत किसी जाति विशेष के सदस्य अपनी ही जाति विशेष के सदस्य से शादी करते हैं।
- (6) डॉ. घुरिये ने जाति प्रथा के संरचनात्मक और संस्थात्मक दोनों पक्षों को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है -
- (a) **समाज का खण्डात्मक विभाजन** - भारतीय जाति प्रथा ने हिन्दू समाज को विभिन्न खण्डों में विभाजित कर दिया है और खण्ड के सदस्यों की नियुक्ति, स्थिति, पद, स्थान और कार्य भी निश्चित है।
- (b) **संस्तरण** - जाति प्रथा द्वारा निर्धारित विभिन्न खण्डों में ऊँच-नीच का एक संस्तरण का उतार-चढ़ाव होता है। इस संस्तरण में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्थिति होती है। उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और सबसे निम्न स्तर पर शुद्र हैं। साधारणतया इस संस्तरण में ऊँचे स्तर पर उठना असम्भव तो नहीं, पर कठिन अवश्य है।
- (c) **भोजन पर सामाजिक प्रतिबंध** - जाति प्रथा के निषेधात्मक प्रकृति में भोजन संबंधी प्रतिबंध उल्लेखनीय हैं। पानी पीने के संबंध में भी अनेक प्रतिबंध हैं।
- (d) **विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक नियोक्ताएं तथा विशेषाधिकार** - जाति प्रथा की एक विशेषता छुआछूत के आधार पर विभिन्न जातियों की सामाजिक नियोग्यताएं या विशेषाधिकार हैं। इस संबंध में ब्राह्मणों को सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। हरिजनों की अवस्था सबसे दयनीय है। वे उच्च जाति के लोगों को छूना तो दूर, अपनी शकल भी नहीं दिखा सकते आदि।
- (e) **पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव** - प्रायः प्रत्येक जाति कुछ पेशों को अपना परम्परागत पेशा मानती है और उसे छोड़ना उचित नहीं माना जाता है। साथ-साथ जातियों द्वारा किए जाने वाले पेशों में भी ऊँच-नीचता (निम्नता) होती है। धर्म से संबंधित समस्त कार्य परम पवित्र माने जाते हैं।
- (f) **विवाह-संबंधी प्रतिबंध** - प्रत्येक जाति में विवाह संबंधी अनेक प्रतिबंध होते हैं। उनमें अंतर्विवाह का नियम सबसे प्रमुख है। प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में विभाजित है। प्रत्येक उपजाति समूह है, अर्थात् अपनी उपजाति से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं है।
- **जाति व्यवस्था का उद्भव / उत्पत्ति** - भारतीय जाति प्रथा एक अत्यधिक जटिल संस्था है। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि जाति-प्रथा के निर्माण, उत्पत्ति, उद्भव व विकास में किन-किन सिद्धांतों की देन है। अनेक विद्वानों ने अपने अलग-अलग सिद्धांत प्रस्तुत किये हैं। उनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं-
- (1) **परम्परागत सिद्धांत** - इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्माण्ड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से जैसे उनके मुख से ब्राह्मणों का, हाथ

से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का और पैरों से शुद्र जातियों का जन्म हुआ। विभिन्न जातियों के लोग अपने मूल स्रोत के अनुसार कार्य करते हैं। प्राचीन भारत में विभिन्न उपजातियां इन जातियों से पैदा हुईं। इस सिद्धांत की विस्तृत विवेचना मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में प्रस्तुत की है। परम्परागत सिद्धांत की इस जाति व्यवस्था की सबसे प्राचीन व्याख्या ऋग्वेद के मंत्र से मिलती है।

**आलोचना** - ब्रह्मा से विभिन्न जातियों के उद्भव के संबंध में यह सरलता से कहा जा सकता है कि आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्यों की उत्पत्ति के संबंध में ऐसी अलौकिक कल्पना पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं।

(2) **राजनीतिक सिद्धांत**: इस सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण समाज पर शासन करने के अलावा उन्हें पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहते थे। इसलिए उनके राजनीतिक हित में भारत में एक जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ। अपनी ऊँची स्थिति का फायदा उठाने के लिए ब्राह्मणों ने चतुराई से काम लिया और एक ऐसी योजना बनाई जिसके अंतर्गत उनका अपना स्थान सबसे ऊपर रहा है और उनके समर्थकों को दूसरा स्थान मिला जो अपने बाहुबल से ब्राह्मणों की रक्षा कर सके।

**आलोचना** - जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अति प्राचीन मौलिक संस्था है जिसकी कृत्रिम रचना संभव नहीं है, कृत्रिमता स्थिरता को प्राप्त नहीं होती और न ही यह विश्वास किया जा सकता है कि दो हजार वर्ष तक ब्राह्मणों की इस चतुर योजना को कोई समझ नहीं सका।

(3) **धार्मिक सिद्धांत** - इस सिद्धांत के प्रवर्तकों में सर्वश्रेष्ठ होकार्ट और सेनार्ट इन दो विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। यह माना जाता है कि विभिन्न धार्मिक परम्पराओं ने भारत में जाति व्यवस्था को जन्म दिया। धर्म से जुड़े लोग उच्च पदों पर आसीन थे। लेकिन अलग-अलग लोग राजा के यहाँ प्रशासन के लिए अलग-अलग कार्य करते थे। जाति व्यवस्था देवताओं को भेंट चढ़ाने का संगठन है। उसकी एक सामान्य अभिव्यक्ति देवताओं को बलि चढ़ाने की प्रथा थी। इस प्रकार पशुओं की हत्या का धर्म से संबंध होने पर भी कुछ अपवित्र स्तर का कार्य है। ऐसे कार्य को करने के लिए ऐसे लोगों की सेवाओं की आवश्यकता हुई जिनकी स्थिति समाज में नीची थी या जो दास आदि होते थे।

**आलोचना** - इस सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी यह है कि जाति प्रथा एक संस्था है, पूर्णतया धार्मिक संस्था नहीं है। इस सामाजिक संस्था में धार्मिक तत्व हो सकते हैं, पर धर्म ही सब कुछ नहीं है।

(4) **व्यवसायिक सिद्धांत** - नेस्फील्ड ने मूल रूप से व्यवसायिक सिद्धांत जिसके अनुसार भारत में जाति किसी व्यक्ति के व्यवसाय से विकसित हुई थी। जिसमें श्रेष्ठ और निम्नतर जाति की अवधारणा भी इसके साथ आई क्योंकि व्यक्ति बेहतर नौकरियाँ कर रहे थे और कुछ कमजोर प्रकार की नौकरियों में थे। पेशे की ऊँच-नीच या अच्छाई-बुराई के अनुसार ही जाति-व्यवस्था के ऊँच-नीच का संस्तरण हुआ।

**आलोचना** - अगर पेशों के आधार पर ही ऊँच-नीच या अच्छाई-बुराई का भेदभाव है तो देश के विभिन्न भागों में रहने वाले और एक ही तरह का पेशा करने वाले व्यक्तियों के सामाजिक स्तरों में अन्तर क्यों पाया जाता है? भारतवर्ष में जितने भी लोग खेती करते हैं, सब एक ही जाति के हैं? ऐसा कदापि नहीं है।

### (5) प्रजातीय सिद्धांत -

i. सर हर्बर्ट रिचले ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धांत को एक वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया था। रिचले के सिद्धांत का प्रथम मूल आधार प्रजातीय भिन्नता तथा दूसरा अनुलोम विवाह-प्रथा है। उनके अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति इण्डो-आर्यन प्रजाति के फारस से भारत में आने के बाद हुई है। फारस में उनका समाज चार भागों में विभाजित था। विभाजन के सिद्धांत को आर्यों ने भारतीय समाज पर भी लागू किया। यहाँ के मूल निवासियों और आर्यों में अनेक सांस्कृतिक और प्रजातीय या शारीरिक भिन्नताएँ थी जिनके कारण वे पूर्ण रूप से घुल-मिल नहीं पाए और पृथक्ता बनी रही।

दूसरे सिद्धांत के अनुसार आर्य लोग आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे, इस कारण उनके पास स्त्रियों की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई जिसके अनुसार आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों की लड़कियों से अपने लड़कों के विवाह को स्वीकार किया और इस प्रकार 'अनुलोम विवाह प्रथा' का जन्म हुआ। परन्तु साथ ही आर्यों ने अपनी लड़कियों का विवाह मूल निवासियों के साथ करना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार 'प्रतिलोम विवाह' पर प्रतिबंध लगाया। अनुलोम विवाह के द्वारा प्रजातीय मिश्रण के फलस्वरूप ही विभिन्न जातियाँ उत्पन्न हुईं।

ii. **घुरिये का सिद्धांत** - इनके सिद्धांतानुसार जाति - प्रथा के कुछ पहलूओं का जन्म गंगा के मैदान में हुआ था, क्योंकि यहीं पर ब्राह्मणों से संबंधित इण्डो-आर्यन सभ्यता का विकास हुआ। ये जब भारत आए तो उनमें कम से कम तीन स्पष्ट वर्ग थे, जिनमें आपस में प्रायः विवाह नहीं होता था, यद्यपि ऐसे विवाह निषिद्ध बिल्कुल न थे। घुरिये के मतानुसार जाति-प्रथा के विविध तत्व आर्यों के उन प्रयत्नों के फल हैं, जो उन्होंने भारत के आदिवासियों और शूद्रों को ब्राह्मण सभ्यता के धर्म और सामाजिक संसर्ग से अलग रखने के लिए किए।

iii. **मजूमदार का सिद्धांत** - इनके अनुसार प्रजातीय सम्मिश्रण के अनेक कारण थे जैसे- आक्रमणकारियों के समूह में स्त्रियों की कमी, इनके घुमन्तु जीवन में भारत के आदिवासियों के स्थायी जीवन का आकर्षण, द्रविड़ संस्कृति की अति उन्नत अवस्था, मात्र सत्तामक प्रणाली, देवियों की पूजा, संस्कार, मंदिर, शिक्षा आदि अनेक कारणों से प्रजातीय सम्मिश्रण हुआ।

### प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना -

(1) प्रजातीय सिद्धांत खाने-पीने के प्रतिबंधों पर प्रकाश नहीं डालता।

(2) प्रजातीय भेद और पक्षपात के आधार पर अनुलोम विवाह को समझाया जा सकता है, पर इससे जाति प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई, यह समझ में नहीं आया। प्रजातीय भेद और पक्षपात संसार के अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी जाति-व्यवस्था का विकास नहीं हुआ।

**अतः** यह माना जाता है कि भारत में जाति व्यवस्था एक सिद्धांत या कारक का परिणाम नहीं है बल्कि यह परिणाम या उद्भव है।

• जाति-व्यवस्था के प्रकार्य लाभ / भूमिका - इस व्यवस्था के निम्न प्रकार्य हैं-

(1) **सामाजिक स्थिति को निश्चित करना** - जाति जन्म से ही अपने सदस्य की सामाजिक स्थिति को निश्चित करती है, क्योंकि जाति की सदस्यता जन्म आधारित है और जन्म को बदला नहीं जा सकता। जैसे, ब्राह्मण, शूद्र या अन्य जाति में जन्म लेने वाला जीवन भर ब्राह्मण, शूद्र या जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का कहलाता है।

(2) **मानसिक सुरक्षा प्रदान करना** - जाति प्रत्येक व्यक्ति का पद और उसके कार्य को जन्म से ही निश्चित करके अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसे किस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्य करते हैं, उसे अपना मार्ग निश्चित करने में मानसिक सुरक्षा भी प्रदान होती है।

(3) **पेशे का निर्णय** - प्रत्येक जाति का पेशा जन्म से ही निश्चित हो जाता है और बचपन से ही उस पेशे के पर्यावरण में पलने के कारण उसके विषय में व्यक्ति को स्वतः ही सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पेशे के संबंध में व्यक्ति का जीवन एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ता है और बिना किसी विशेष प्रयत्न के वह अपने परम्परागत पेशों में निपुण हो जाता है।

(4) **जीवन साथी का चुनाव** - जाति का विवाह संबंधी कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जाति इस बात का निर्णय करती है कि एक व्यक्ति को किस समूह में विवाह करना है, विवाह के संबंध में किन-किन प्रतिबंधों का उसे पालन करना है आदि। इन विषयों में जाति का निर्णय अंतिम है।

(5) **सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना** - जाति सदस्यों के जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आने पर जाति अपने जातीय संगठन या जाति पंचायत द्वारा उसकी सहायता की जाती है।

(6) **व्यवहारों पर नियंत्रण** - प्रत्येक जाति के अपने नियम और प्रतिबंध होते हैं। इन नियमों और प्रतिबंधों के द्वारा जाति अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण करती है। जाति उसे यह बताती है कि उसे किन किन संस्कारों को मानना है, किनके साथ सामाजिक दूरी बरतनी है आदि इस रूप में, जाति का नियंत्रण व्यक्ति के जीवन से संबंधित प्रायः सभी क्षेत्रों में होता है।

(7) **संस्कृति की रक्षा** - प्रत्येक जाति की अपनी अलग से संस्कृति, रीति-रिवाज, मान्यताएँ होती हैं। प्रत्येक जाति में यह



➤ **वर्ग के समक्ष चुनौतियाँ / बाधाएँ**

- (1) उच्च वर्ग पर बैठने वाले शीर्ष लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी निम्न वर्ग के लोगों का सदियों तक शोषण करते हैं।
- (2) निम्न वर्ग के दैनिक जीवन, क्रिया कलापों, विवाह संस्कार, आचार-व्यवहार आदि क्षेत्र प्रभावित होते हैं।
- (3) भारतीय समाज में स्थापित उच्च-वर्ग, मध्यम वर्ग, और निम्न वर्गों के बीच शिक्षा की असमानता स्पष्ट दिखाई देती है।
- (4) ये व्यवस्था आर्थिक, मानसिक शारीरिक विकास में बाधक होती हैं।
- (5) वर्गों को ध्यान में रखकर मनुष्यों के बीच पक्षपात दृष्टिगोचर होता है।
- (6) एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्यों के साथ सीमित सामाजिक संबंध स्थापित कर एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं।
- (7) वर्गों के निर्माण में संपत्ति का प्रमुख स्थान है।
- (8) वर्ग निर्माण का आधार शारीरिक श्रम है।
- (9) हर वर्ग की एक अलग जीवन शैली होती है।

➤ **जाति और वर्ग में अंतर**

- (1) वर्ग की सदस्यता योग्यता पर निर्भर करती है, जाति की सदस्यता जन्म पर निर्भर करती है।
- (2) वर्ग में व्यक्ति कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, जाति में व्यक्ति का पेशा उसके वंश या जाति के अनुसार होता है।
- (3) वर्ग की कोई पंचायत नहीं होती, जाति की अपनी जाति पंचायत होती है।
- (4) जाति-व्यवस्था स्थिर है जबकि वर्ग प्रणाली गतिशील।
- (5) जाति व्यवस्था एक कार्बनिक प्रणाली है लेकिन वर्ग खंडीय चरित्र होता है, जहाँ विभिन्न खंड प्रतिस्पर्धा से प्रेरित है।
- (6) जाति एक सक्रिय राजनीतिक शक्ति के रूप काम करती है, लेकिन वर्ग ऐसा नहीं करता है।
- (7) जाति व्यवस्था एक 'बंद व्यवस्था' है और वर्ग-व्यवस्था 'एक खुली व्यवस्था' है।
- (8) वर्ग-व्यवस्था में, विभिन्न वर्गों के लोगों बीच अंतर-भोजन और अंतर विवाह पर कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं है जबकि जाति-व्यवस्था में यह प्रतिबंध है।
- (9) वर्ग-व्यवस्था में व्यक्ति अपनी योग्यता से अपना वर्ग बदल है, जाति में व्यक्ति ये नहीं कर सकता है।
- (10) वर्ग की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती और ना ही वे धर्म द्वारा पोषित होते हैं।

**अभ्यास प्रश्न**

**गत परीक्षा में पूछे गये प्रश्न :-**

- प्रश्न-1. जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है ? [ RAS - 2021 ]
- प्रश्न-2. वैश्विक गाँव क्या है ? [ RAS - 2021 ]
- प्रश्न-3. जाति एक अन्तर्विवाही समूह है कैसे ? [ RAS - 2018 ]
- प्रश्न-4. सामाजिक विचार धारा क्या है ? [ RAS - 2018 ]
- प्रश्न-5. एम.एन श्रीनिवास द्वारा प्रभुजाति को स्पष्ट करने हेतु कौनसे लक्षण बताए गए हैं ? [ RAS - 2018 ]
- प्रश्न-6. जी एस धुरिये द्वारा प्रदत्त जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ? [ RAS - 2016 ]

## अध्याय - 3

### भारतीय समाज समक्ष चुनौतियाँ

**भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ :-** ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक लम्बे स्वतंत्रता संग्राम के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य के रूप में मूर्त रूप दिया और खुद को एक संविधान दिया जिसने भारत को सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। तब से भारतीय विकास की कहानी ने सभी क्षेत्रों में शानदार वृद्धि अर्जित की है, फिर भी ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जिनका भारत आज अपने दैनिक सामाजिक जीवन में सामना करता है, जो एक तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। भारत जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से कुछ प्रमुख हैं, गरीबी, प्रदूषण, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, असमानता, लैंगिक भेदभाव, आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, शराब, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, महिलाओं के खिलाफ हिंसा।

यदि व्यवस्थित रूप से चर्चा की जाए तो चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, यह समाज के उस उस हिस्से के आधार पर उन्हें अलग करके किया जा सकता है जो वे सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं और फिर उन चुनौतियों को स्पर्श कर रहे हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करती हैं।

#### कुछ प्रमुख चुनौतियाँ :-

1. बाल श्रम
2. कुपोषण
3. निरक्षरता
4. बालिकाओं के खिलाफ लैंगिक पूर्वाग्रह
5. बाल शोषण
6. बाल तस्करी
7. किशोर अपराध
8. मादक पदार्थों का सेवन
9. महिला और स्वास्थ्य
10. महिला हिंसा
11. लैंगिक भेदभाव
12. बेरोजगारी
13. जातिव्यवस्था
14. क्षेत्रवाद
15. धर्मनिरपेक्षता
16. फेक न्यूज का खतरा
17. गरीबी
18. डिजिटल डिवाइड
19. प्रदूषण

200 वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटिश राज से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त को हुई। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का उदय, भारत के लोगों के लिए एक

महत्वपूर्ण क्षण था। आजादी के समय भारत को कई सम-विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के बीच नए राष्ट्र के रूप में भारत के समक्ष कुछ चुनौतियाँ खड़ी हुईं। जब तक इन सभी का निवारण नहीं हो जाता तब तक भारत सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता है और न ही शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है।

#### ❖ दहेज प्रथा -

- मानव समाज एवं सभ्यता के समक्ष कई सारी चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं, परंतु इनमें से एक चुनौती ऐसी है, जिसका कोई भी हल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। विवाह संस्कार से जुड़ी हुई यह सामाजिक विकृति दहेज प्रथा है। दहेज कुप्रथा भारतीय समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप की तरह है। 'दहेज' शब्द अरबी भाषा के 'दहेज' शब्द से रूपांतरित होकर उर्दू और हिन्दी में आया है, जिसका अर्थ होता है 'सौगात'।
- प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, अग्निकुंड के समक्ष शास्त्रज्ञ विद्वान विवाह सम्पन्न कराता था तथा कन्या का हाथ वर के हाथ में देता था। कन्या के माता-पिता अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुरूप कन्या के प्रति अपने स्नेह और वात्सल्य के प्रतीक के रूप में कुछ उपहार भेंट स्वरूप दिया करते थे। इसके लिए 'वस्त्रभूषणालंकृतम्' शब्द का प्रयोग सार्थक रूप में प्रचलित था। इस प्रथा के पीछे लाभ की दुष्प्रवृत्ति छिपी हुई है। आज दहेज प्रथा भारत के सभी क्षेत्रों और वर्गों में व्याप्त है। इस कुप्रथा के चलते कितने लड़की वाले बेघर एवं बर्बाद हो रहे हैं। कितनी वधूएँ के दहेज की खातिर जीवित जला कर मारी जा रही हैं। इस कुप्रथा ने लड़कियों के पिता का जीवन दूभर कर दिया है।
- इतिहास के पन्नों पर नजर डाले तो यह प्रमाणित होता है कि दहेज का जो रूप आज हम देखते हैं कि ऐसा पहले नहीं था। उत्तरवैदिक काल में प्रारंभ हुई यह परंपरा आज अपने घृणित रूप में हमारे सामने खड़ी है। दहेज प्रथा के औचित्य और उद्देश्य में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्हें निम्नलिखित कालांतरों के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है-

**उत्तर वैदिक काल** - ऋग्वेदिक काल में दहेज प्रथा का कोई औचित्य नहीं था। अथर्ववेद के अनुसार उत्तरवैदिक काल वस्तु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ उस समय पिता को जो देना सही लगता था, वह अपनी इच्छा से दे देता था। जिसे वर पक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता था। इसमें न्यूनतम या अधिकतम जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। उस काल में लिखे गए धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कही भी दहेज से संबंधित कोई भी प्रसंग उल्लिखित नहीं किया गया है।

- (1) **मध्य काल** - मध्य काल में इस वस्तु को स्त्रीधन के पीछे नाम से पहचान मिलने लगी। इसका स्वरूप वस्तु के ही समान था। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि जो उपहार वो अपनी बेटी को दे रहा है, वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके और उसके ससुराल के काम

### दहेज - प्रथा के दुष्परिणाम -

- (1) बालिका वध - दहेज की अधिक माँग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या को पैदा होते ही मार डालते हैं।
- (2) कम दहेज देने पर कन्या को सुसुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दोनों परिवार में तनाव एवं संघर्ष पैदा होते हैं और पति-पत्नी का सुखी वैवाहिक जीवन में तनाव में आता है।
- (3) जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं दिया जाता है, उनको कई प्रकार से तंग किया जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए लड़कियाँ आत्महत्या तक कर लेती हैं। कई बार कम दहेज के कारण लड़कियों की हत्या तक हो जाती है या फिर उन्हें जलाकर मार दिया जाता है।
- (4) दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रुपया उधार लेना पड़ता है या अपनी जमीन, जेवरात मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है। अधिक कन्याएँ होने पर तो आर्थिक दशा और ज्यादा बिगड़ती है।
- (5) **बेमेल विवाह** जैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं। दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग एवं अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ता है।
- (6) दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर देते हैं। कई बार तो दहेज के अभाव में तोरण द्वार से बारात वापस लौट जाती है।
- (7) दहेज चुटाने के लिए कई अपराध भी किए जाते हैं। रिश्त, चोरी एवं गबन द्वारा धन एकत्र किया जाता है। भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होती है।
- (8) दहेज एकत्रित करने एवं योग्य वर की तलाश में माता- पिता चिन्तित रहते हैं। चिन्ता के कारण कई मानसिक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।
- (9) दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है। उनका जन्म अपशकुन माना जाता है और उन्हें भावी विपत्ति का सूचक समझा जाता है।

### ❖ दहेज-प्रथा को समाप्त करने हेतु सुझाव

- (1) **स्त्री शिक्षा** - स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए ताकि वे पढ़-लिखकर स्वयं कमाने लगे। ऐसा होने पर उनकी पुरुषो पर आर्थिक - निर्भरता समाप्त होगी।
- (2) **जीवन-साथी के चुनाव की स्वतंत्रता** - लड़के व लड़कियों को अपना जीवन-साथी स्वयं चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर अपने आप दहेज प्रथा समाप्त हो जायेगी।
- (3) **अन्तर्जातीय विवाह** - अन्तर्जातीय विवाह की छूट होने पर विवाह का दायरा विस्तृत होगा। परिणामस्वरूप दहेज प्रथा समाप्त हो सकेगी।
- (4) **स्वस्थ जनमत** - दहेज विरोधी जनमत तैयार किया जाए। लोगों में जागृति पैदा की जाए, जिससे कि वे दहेज का विरोध करें। इसके लिए अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार के साधनों का उपयोग किया जाए। समाज-सुधारकों एवं युवकों द्वारा इस ओर अपने विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(5) **दहेज विरोधी कानून** - दहेज-प्रथा की समाप्ति के लिए कठोर कानूनों का निर्माण किया जाए एवं दहेज मांगने वालों की कड़ी से सजा दी जाए। वर्तमान में "दहेज निरोधक अधिनियम 1961" लागू है, परन्तु यह अधिनियम अपनी कई कमियों के कारण दहेज-प्रथा को कम करने में असफल रहा है। वर्तमान में इस अधिनियम को संशोधित कर इसे कठोर बना दिया गया है।

### ❖ **तलाक**

तलाक या विवाह-विच्छेद एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत पति-पति एक दूसरे को सभी वैवाहिक बंधन से मुक्त करते हैं।

### **तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम 1955)**

भारत सरकार द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 लागू किया। भारत सरकार द्वारा 1976 एवं 1951 में संशोधन किए एवं इस प्रक्रिया को विस्तृत रूप दिया गया। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत स्त्री या पुरुष दोनों ही तलाक के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। यह अधिनियम हिन्दुओं, सिक्खों, बौद्ध धर्म मानने वाले और उन सब व्यक्तियों पर लागू होता है, जो मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी न हों।

इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न आधारों पर यह आवेदन किया जा सकता है।

### **यदि दोनों पक्षों में से कोई भी :-**

1. शादी के बाद अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबन्ध स्थापित करता हो।
2. शादी के बाद अपने साथी के साथ मानसिक या शारीरिक क्रूरता का व्यवहार करता हो।
3. यदि कोई आवेदन को दो वर्ष पहले से उसके साथ रहना छोड़ दिया हो जब तक कोई ठोस कारण न रहा हो।
4. दोनों पक्षों में से यदि कोई एक हिन्दु धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता हो।
5. यदि दोनों में से कोई भी एक पक्ष पागल हो और उसके साथ वैवाहिक जीवन जीना संभव नहीं हो।
6. अगर दोनों में से कोई एक कुष्ठ रोग से ग्रसित हो।
7. पति या पत्नी में से कोई एक संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।
8. अगर वह अपने परिवार को छोड़कर सन्यास ले ले।
9. अगर उसके किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को उसके जिन्दा होने की कोई भी खबर सात साल तक न मिली हो।

### **इनके अलावा निम्न आधारों पर पत्नी तलाक ले सकती है।**

1. अगर पति शादी के बाद बलात्कार का दोषी हो।
2. अगर शादी के समय पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम रही हो तो वह 18 वर्ष की होने से पहले तलाक ले सकती है।

- वृद्धों की सामाजिक स्थिति अच्छी करने के लिये राज्य को नए कानून बनाने की पहल करनी चाहिए।

### अभ्यास

#### गत परीक्षा में पूछे गये प्रश्न :-

- प्रश्न-1. राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए ? [ RAS - 2021 ]
- प्रश्न-2. "सागड़ी प्रथा" निषेध अधिनियम क्या है ? [ RAS - 2018 ]
- प्रश्न-3. भारत में परम्परागत रूप में जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है ? [RAS 2016]
- प्रश्न-4. बाल विवाह से आप क्या समझते हैं ? [RAS - 2016]
- प्रश्न-5. शारदा एक्ट क्या है ? [ RAS - 2021 ]

### अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

- प्रश्न-1. राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता बताइये ? [RAS - 2021 ]
- प्रश्न-2. राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है ? आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे संबंधित हैं ?
- प्रश्न-3. "अल्पसंख्यक" वर्ग क्या होता है ? अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की क्यों जरूरत होती है ?
- प्रश्न-4. साम्प्रदायवाद / साम्प्रदायिकता क्या होती है ?
- प्रश्न-5. जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का कारण है क्या इस कथन से आप सहमत हैं, अपना तर्क देकर समझाइये ?

## अध्याय - 4

### राजस्थान में जनजातीय समुदाय

#### ❖ भील, मीणा, गरासिया, इत्यादि

आदिवासी शब्द दो शब्दों 'आदि' और 'वासी' से मिलकर बना है। इसका अर्थ मूल निवासी होता है। ये जनजातियाँ अधिकांश अरावली के दक्षिणी भाग में होने वाले घने जंगल या पर्वत श्रृंखलाओं पर निवास करती हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.60% अनुसूचित जनजाति का है और भारत, के कुल आदिवासी का, 7.87 % राजस्थान में निवास करती है। **अनुच्छेद 366 (25)** ने अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए **अनुच्छेद 342** में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है" परिभाषित किया है।

राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ :- राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियाँ निम्न हैं :-

- भील तथा इसकी जनजातियाँ- भील गरासिया, ढोली भील, इंगरी भील, इंगरो गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भागलिया, भिलाला, पावडा, वसावा, वसावे।
  - नायकड़ा, नायक, चोलीवाला नायक, कापड़िया नायक, नाना नायक।
  - कथोड़ी व दूसरी उपजाति काटकड़ी, दोर कतकड़ी, सोन - कथोड़ी, सोन- कतकडो।
  - सहरिया।
  - कोलाढोर, टोकरे, कोली, कोलचा, कोलघा।
  - मीना
  - पटेरिया
  - कोकना, कोकनी, कूकना।
  - भील -मीना
  - गरासिया
  - धानका ताड़वी, तेतड़िया बालवी।
  - डामोर व इनकी उपजाति डामरिया
- उपरोक्त में से मुख्य आदिवासी जनजातियाँ हैं :- मीना, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी।

#### जनजातीय समुदाय की मुख्य विशेषताएं :-

1. आदिम लक्षण
2. आर्थिक रूप से पिछड़ापन
3. विशिष्ट संस्कृति
4. भौगोलिक अलगाव
5. बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच।

#### मुख्य बिंदु :-

1. संयुक्त राष्ट्र संघ (uno) ने इसकी भलाई, विकास के लिए एक कार्यदल 9 अगस्त 1982 को गठित किया। उसके बाद अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को 'विश्व आदिवासी दिवस' मानने की घोषणा की गई।

2. राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की।
3. इन जनजातियों को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से सम्बोधित करते रहे :- ए बेन्स - कबीला ; क्रोबर - आदिम जाति ; जे. एच. घटन - पिछड़े कबीले ; एच. एच. रिस्ले, एन. सी. लेसी, वारियर एलविन, ठक्कर बाया - आदिवासी।
4. भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है।
5. भील राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है। बांसवाड़ा इसका मुख्य क्षेत्र है, जहाँ भील बड़ी की संख्या में है।
6. सहरिया जनजाति राज्य की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है।
7. राजस्थान की गहलोत सरकार ने 9 August 2021 को प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना लागू की है।
8. T. A. D की full form है Tribal Area Development (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)
9. 19 मई 2018 अधिक सूचना के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में राज्य के 8 जिलों को सम्मिलित किया है।
10. 8 जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्रतापगढ़ सम्पूर्ण जिले, उदयपुर की 8 पूर्ण तहसील एवं तहसील गिर्वा के 252, तहसील वल्लभनगर के मावली के 4 गांव, सिरोही जिले की आबूरोड़ तहसील एवं तहसील पिंडवाड़ा के 51 गांव, राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील के 15 कुम्भलगढ़ के 16 गांव चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील के 51 गांव तथा पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांव सम्मिलित हैं।
11. 8 जिलों की तहसीलों को मिलाकर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 64.64 लाख है। जिसमें जनजाति जनसंख्या 45.52 लाख है। जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 70.42 प्रतिशत है।
- **भील जनजाति** - भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के "वील" शब्द से हुई है जिसका अर्थ है "कमान"।
- इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौरगढ़ जिलों में भी इनका निवास है। मेवाड़ और मुगल समय में भील समुदाय को उच्च ओहदे प्राप्त थे, तत्कालीन समय में भील समुदाय को रावत, भोगिया और जागीरदार कहा जाता था। राजा पूजा भील और महाराणा प्रताप की आपसी युद्ध नीति से ही मेवाड़, मुगलों से सुरक्षित रहा। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा पूजा और उनकी भील सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी कारण मेवाड़ राजचिन्ह में एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ राणा पूजा भील अर्थात् राजपूत और भील का प्रतीक चिन्ह अस्तित्व में आया। हल्दीघाटी के युद्ध के अनिर्णित रहने में 'गुरिल्ला युद्ध प्रणाली' का ही करिश्मा था, जिसे पूजा भील के नेतृत्व में काम में लिया गया। इस भील वंशज सरदार की उपलब्धियों और योगदान की प्रमाणिकता के रहते उन्हें राणा की पदवी महाराणा द्वारा दी

गई। अब 'राजा पूजा भील' 'राणा पूजा भील' कहलाये जाने लगे। भील जिन बस्तियों में रहते हैं। उन्हें 'पाल' कहते हैं। हर एक 'दल' में एक नेता होता है जिसे मध्य भारत में "तरबी कहा जाता है। एवं राजस्थान में उसे 'गमेती' कहा जाता है। इस जनजाति में बड़े गांव की 'पाल' तथा छोटे गांव को 'फला' कहते हैं। राजस्थान में कुछ नगरों के नाम भील राजाओं जो कभी इन क्षेत्रों पर शासन करते थे, के नाम पर पड़ा है। उदाहरण - कोटा का नाम कोटया भील से पड़ा, बनारस बंसिया भील से पड़ा, डूंगरपुर का नाम डूंगरिया भील के नाम पर पड़ा।

- भीलवाड़ा जिले का नाम इसी जनजाति पर रखा गया।
- भील जाति कई उप - जातियों में भी बंटी है। जैसे - नहाल, पाँगी, मोची मटवारी, खोतील, कोतवाल,
- दांगची, नौरा, करीट, बरिया, पर्वा, पोवेरा, उल्वी, उसांव, बुर्दा। इन जातियों में अनेक गोत्र भी हैं जिनमें मुख्य रोहनिया, सोनगर, आवलिया, मखाल, मेरी पवार, मेरा मासरया, मेंहदा, सिसोदिया, राठौर, परमार, सोलंकी, अवाशा, जवास, भूमिया, कचेरा, जावश, और चौमड़ आदि हैं। उपर्युक्त गोत्रों से स्पष्ट मालूम होता है कि इनका मिश्रण राजपूतों के साथ अधिक हुआ है। सोलंकी, राठौर, सिसोदिया, पवार गोत्र भीलों में भी हैं और राजपूतों में भी।

(A) **स्वभाव व रहन - सहन** - भील स्वभाव से वीर, साहसी और स्वामी भक्त होते हैं। भील अपने वचन के पक्के एवं मनमौजी होते हैं। ये स्वभाव से इतने सीधे होते हैं कि कोई भी ठग उनको लेता है। ये धर्मवीर नहीं होते हैं। इनके दरवाजे से कोई भी अतिथि बिना भोजन पाये वापस नहीं जाता है। उदयपुर के भील अपने घरों तथा मंदिरों की दीवारों को देवताओं, फूलों, पशुओं तथा पत्तियों के चित्रों से सजाते हैं। वे इन चित्रकारियों को मदन्नो कहते हैं। चूंकि भील पुरुष शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं जंगलों में निवास करने वाले भील पुरुष प्रायः एक लंगोटी में ही अपना जीवन बिताते हैं, परन्तु जो भील बस्तियों के समीप आकार रहने लगे, वे मोटा कपड़ा पहनते हैं जिसे ये लोग अंगरखा कहते हैं।


(B) **वेशभूषा** -

1. **अंगरूठी** - स्त्रियों की चोली।
2. **फालू** - कमर का अंगोछा।
3. **ठेपाड़ा** - भील जनजाति के लोगों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती।
4. **सिंदूरी** - लाल रंग की साड़ी। 5. खोयतू - कमर पर बांधा जाने वाला लंगोटा।
6. **पोत्या** - सिर पर पहना जाने वाला सफेद साफा।
7. **कच्छा** - महिलाओं का घुटने तक का घाघरा। 8. **पिरिया** - विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा।
9. **फैंटा** - भील पुरुषों के द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला लाल, पीला, केसरिया, रंग का साफा।
10. **अंगरूठी** - भील स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाली चोली।

“वस्तु नियोजन वस्तु की उन विशेषताओं को तय करता है, जिससे कि उपभोक्ताओं की असंख्य इच्छाओं को सर्वोत्तम ढंग से पूरा किया जा सके, वस्तुओं में विक्रय योग्यता को

जोड़ा जा सके और उन विशेषताओं को तैयार वस्तुओं में शामिल किया जा सके”

### 1. उत्पादों के प्रकार



### नवीन उत्पाद के विकास की प्रक्रिया

#### (Process of New Product Development)

ब्रूज़, एलन एवं हेमिल्टन (Brooze, Allen and Hamilton) ने एक नये उत्पाद के विकास की प्रक्रिया को निम्न प्रकार स्पष्ट किया है-

#### (1) नये विचारों का अन्वेषण (Exploration of New Ideas)-

अन्वेषण के अंतर्गत कम्पनी के उत्पाद क्षेत्रों का निर्धारण एवं उपलब्ध विचारों तथा तथ्यों का एकत्रीकरण सम्मिलित होता है क्योंकि जितने अधिक विचारों का एकत्रीकरण होगा उतने ही अच्छे विचार के चुने जाने की सम्भावना अधिक होगी। इन विचारों को एकत्रित करने के लिए कम्पनी ग्राहक, प्रबन्ध, विक्रेता, प्रतियोगिताएँ, प्रयोगशाला आदि पर निर्भर करती है।

#### (2) विचारों की छानबीन (Screening of Ideas)-

विचारों के एकत्रीकरण के पश्चात् प्रत्येक विचार का विस्तृत रूप से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा जो विचार कम्पनी के लिए लाभकारी होते हैं, उन्हें अलग कर लिया जाता है ताकि उपयुक्त समय आने पर उनका लाभ उठाया जा सके। विभिन्न विचारों का मूल्यांकन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा उन्हें उनके महत्त्व के क्रम में रखा जाता है। यह प्रक्रिया विचारों की छानबीन कहलाती है।

#### (3) व्यावसायिक विश्लेषण (Business Analysis)-

व्यावसायिक विश्लेषण के अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि नई वस्तु की बिक्री कैसी होगी? लाभों की स्थिति क्या रहेगी? तथा लगाई गई पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत क्या होगा? यदि ये सभी बातें विश्लेषण के अंतर्गत कम्पनी के हित में आती हैं तो कम्पनी नया उत्पाद विकसित करने के बारे में विचार करती है, अन्यथा नहीं।

#### (4) वस्तु विकास (Product Development)-

अब वह विचार जो प्रत्येक दृष्टि से उचित एवं लोस जान पड़ता है उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए कदम उड़ाये

जाते हैं। वस्तु विकास के अंतर्गत वस्तु के विभिन्न मॉडल तैयार करके यह विचार किया जाता है कि किस प्रकार का मॉडल अच्छा तथा मितव्ययी होगा। उपभोक्ताओं की रुचियों का परीक्षण किया जाता है तथा ब्राण्ड तथा पैकेजिंग के विषय में निर्णय लिया जाता है।

#### (5) परीक्षात्मक विपणन (Test Marketing)-

नवीन वस्तु को विस्तृत रूप से बाजार में लाने से पूर्व परीक्षात्मक विपणन आवश्यक है अर्थात् पहले बाजार के किसी चुने हुए भाग में वस्तु को लाकर यह परीक्षा की जानी चाहिये कि विक्रेताओं तथा ग्राहकों की ओर से क्या प्रतिक्रिया होती है यदि परीक्षण में कुछ कमियाँ सामने आती हैं तो उन्हें दूर करने के पश्चात् ही नवीन वस्तु को विस्तृत रूप से बाजार में लाना चाहिये। वास्तव में, परीक्षात्मक विपणन उत्पादक की जोखिम को कम करता है तथा उसे ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं से अवगत कराता है।

#### (6) वस्तु का वाणिज्यीकरण (Commercialisation of the Product)-

एक नवीन उत्पाद के विकास की सभी प्रारम्भिक अवस्थाएँ पूरी करने के बाद वस्तु के वाणिज्यीकरण की समस्या आती है अर्थात् जब वस्तु परीक्षात्मक विपणन में खरी उतरती है तो उसे व्यावसायिक रूप से बाजार में लाने की तैयारी की जाती है। वस्तु को बाजार में लाने से पूर्व वस्तु के मॉडल, ब्राण्ड तथा पैकेजिंग आदि के बारे में फिर से एक बार विचार करना होता है क्योंकि उत्पादक की पूँजी का एक बड़ा भाग वस्तु के उत्पादन में लग जाता है। अतः वस्तु के वाणिज्यीकरण की अवस्था अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है।

#### उत्पाद अन्तर्लय या मिश्रण

##### (Product Mix)

- कम्पनी द्वारा उत्पादित एक उत्पाद, उत्पाद मद कहलाता है। कम्पनी द्वारा उत्पादित एक ही प्रयोग में आने वाले सभी उत्पाद, उत्पाद पंक्ति का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में एक उत्पाद को उत्पाद मद कहा जाता है। एक ही प्रयोग में काम

## अध्याय - 4

### उद्यमिता - उद्भव, स्टार्ट अप्स, यूनिकॉर्न, उद्यम पूँजी, ऐंजल निवेशक

#### ❖ उद्यम पूँजी का अर्थ एवं परिभाषा

उद्यम पूँजी शब्द दो शब्दों उद्यम + पूँजी के योग से बना है। उद्यम से आशय ऐसे उपक्रम से है जिसमें अनिश्चितता जोखिम, खतरा एवं हानि निहित है। पूँजी से आशय ऐसे उपक्रम को प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने से है। अतएव उद्यम पूँजी से आशय ऐसे उपक्रम के लिए प्रारम्भिक पूँजी उपलब्ध कराने से है जिसमें एक ओर तो अनिश्चितता। एव अत्यधिक जोखिम है तथा दूसरी ओर अत्यधिक लाभों का आकर्षण। अतः उद्यम पूँजी से हमारा आशय ऐसे व्यावसायिक उपक्रम में धन विनियोजित करने से है जिसमें एक ओर तो अनिश्चितता एवं जोखिमों की भरमार रहती है तथा दूसरी ओर अधिक लाभ कमाने का आकर्षण। वास्तव में उद्यम पूँजी उद्यमियों के लिए प्रगति के नये-नये अवसर एवं मार्ग खोलती है। इसको हम जोखिम पूँजी भी कहते हैं।

#### उद्यमिता की विशेषताएं-

1. जोखिम लेने की क्षमता उद्यमिता का यह आधारभूत तत्व है कि इसमें व्यवसाय की भावी अनिश्चितताओं का सामना करने व जोखिम उठाने की भावना निहित होती है। जोखिम से प्रभावी ढंग से नहीं निपटने पर व्यवसाय समाप्त भी हो सकता है। उद्यमिता में जोखिम वहन करने की क्षमता होती है।
2. रचनात्मक क्रिया उद्यमिता व्यक्ति को नये-नये अवसरों को खोज करने, प्रति पल रचनात्मक चिन्तन करने व नवीन विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देती है।
3. निरंतर प्रक्रिया उद्यमिता अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है। सिर्फ नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं है, वरन् उसका दक्षतापूर्ण संचालन करना, व्यवसाय को विकास की तरफ अग्रसर करने जैसे लंबी अवधि के लक्ष्य पाना एवं दिन-प्रतिदिन के निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि उद्यमिता में ही समाहित है।
4. प्रेरणात्मक क्रिया चूंकि उद्यमिता व्यवसायियों व उद्यमियों के प्रत्येक कार्य व व्यवहारों को रचनात्मक एवं सृजनशीलता की ओर उन्मुख करती है। इसी प्रकार उन्हें नये विचारों, नये दृष्टिकोण एवं नये सुअवसरों की खोज करने के लिए भी अभिप्रेरणाएं प्रदान करती है समग्र रूप में उद्यमिता एक प्रेरणात्मक क्रिया है जो उद्यमियों को अपने कार्यों व लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है।
5. पेशेवर प्रक्रिया वर्तमान समय में उद्यमिता एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, प्रबंध आदि पेशों की तरह उद्यमिता की योग्यता को शिक्षण, प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जा रहा है।

6. सार्वभौमिक क्रिया उद्यमिता को एक सार्वभौमिक क्रिया माना जाता है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की आवश्यकता होती है। सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, तकनीकी, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, सेना व खेलकूद आदि सभी क्षेत्रों में अनिश्चितताओं को वहन करने, जोखिम का सामना करने व नवप्रवर्तन आदि करने में उद्यमियाँ प्रवृत्तियाँ आवश्यक होती हैं। अतः सर्वव्यापकता के कारण यह सार्वभौमिक क्रिया मानी गयी है।
7. वातावरण-प्रेरित क्रिया उद्यमिता की की एक विशेषता यह की उद्यमिता वातावरण से जुड़ी हुई एक बाहरी एवं खुली प्रणाली है। उद्यमी सदैव सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं भौतिक वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं तथा उनमें परिवर्तन करने का जोखिम उठाते हैं।
8. उद्यमिता अर्जित कार्य है। उद्यमिता स्वाभाविक रूप से संगठन में विद्यमान नहो होती, वरन् प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है।
9. संसाधनों का संयोजन तथा उपयोग उद्यमिता द्वारा यत्र-तत्र बिखरे संसाधनों को संयोजित कर दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में उत्पादन के विभिन्न साधन यथा- भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन आदि विभिन्न व्यक्तियों के पास होते हैं। उद्यमी इन संसाधनों को एकत्रित करता है तथा उनमें संयोजन कर उत्पादन प्रक्रिया आरंभ करता है।
10. उद्यमिता एक आचरण है उद्यमिता एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, वरन् आचरण का परिणाम होती है। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, पर निर्णय लेने में जोखिम निहित होता है, जिसे अनुभव द्वारा ही वहन किया जा सकता है। एक निरंतर प्रक्रिया होने के कारण उद्यमिता आचरण का हिस्सा बन जाती है।
11. प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है। किसी भी व्यावसायिक इकाई में प्रबंध ही समस्त साहसिक निर्णयों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम है। प्रबंध के द्वारा ही साहसी अथवा उद्यमी अपने मूल लक्ष्यों की प्राप्ति में योजना को अमल में लाने का प्रयास करता है।
12. सभी व्यवसायों एवं अर्थव्यवस्था में आवश्यक उद्यमिता छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यवसायों में आवश्यक है। वस्तुतः यह प्रत्येक व्यवसाय के जीवित रहने एवं विकसित होने के लिए अनिवार्य है।
13. परिवर्तनों का परिणाम उद्यमिता कोई आर्थिक घटना या क्रिया मात्र नहीं है, वरन् समाज में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक व तकनीकी परिवर्तनों का परिणाम भी है।

#### उद्यम पूँजी अवधारण का उद्गम एवं विकास

उद्यम पूँजी अवधारण का उद्गम सबसे पहले 20 वीं शताब्दी में अमेरिका एवं यूरोप सहित पश्चिमी देशों में हुआ। वर्तमान में तो लगभग सभी विकसित पूँजीपति देशों ने उद्यम पूँजी अवधारणा को अपनाया है। इन देशों में बड़ी तेजी से प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास हो रहा है। ऐसे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता अपार होती

है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, उद्यम पूँजी अवधारणा का उद्गम हुए अभी अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ है। भारत में उद्यम पूँजी अवधारणा का उद्गम करने का श्रेय भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को है, जिसने सबसे पहले 1975 में जोखिम पूँजी न्यास (Risk Capital Foundation or RCF) की भारत में स्थापना की। जनवरी 1988 में इसे कम्पनी में परिणित कर दिया गया। इसका नाम बदलकर 'जोखिम पूँजी एवं प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड' (RiskCapital and Technology Corporation Limited) रख दिया गया। तत्पश्चात् अन्य भारतीय वित्तीय संस्थानों ने भी अपने यहाँ उद्यम पूँजी कोष योजना की स्थापना की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) ने अपने यहाँ सन् 1986 में उद्यम पूँजी कोष योजना की स्थापना की। इसी प्रकार औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (ICICI) ने सन् 1988 में अपने यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम (Technology Development and Infrastructure Corporation of India Limited) की स्थापना की। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम तकनीक सूचना तथा विकास क्रियाओं, वाणिज्यिक, श्रम अनुसंधान आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह 20 करोड़ रु. तक की उद्यम पूँजी का भी प्रबन्ध करता है। इसकी स्थापना इसने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के सहयोग से की है।

### उद्यम पूँजी के लक्षण अथवा विशेषताएँ

उद्यम पूँजी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

- (1) उद्यम पूँजी का विनियोजन सामान्यतः ऐसे नवीन उपक्रमों में किया जाता है। जिनमें एक तरफ तो अत्यधिक जोखिम होती है और दूसरी तरफ अत्यधिक लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है।
- (2) उद्यम पूँजी विनियोक्ता यद्यपि उपक्रम के प्रबन्ध में संलग्न होते हैं, किन्तु उन्हें उसके दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है, किन्तु वे प्रवर्तकों के सम्पर्क में निरन्तर बने रहते हैं तथा अपने वित्तीय हितों पर नजदीकी निगाह रखते हैं।
- (3) सामान्यतः उद्यम पूँजी का उपयोग नवीन उपक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए बीज पूँजी (Seed Capital) के रूप में होता है।
- (4) विनियोजन सामान्यतः समता प्रलेखों में होता है, जिनमें प्रत्याय पर पूँजीगत लाभों के रूप में कर लगता है, न कि सामान्य आय के रूप में।
- (5) उद्यम पूँजी का उपयोग नवीन प्रौद्योगिकी द्वारा अत्यधिक लाभ कमाने की तमन्ना से नवीन उत्पादों का निर्माण करने के लिए किया जाता है।
- (6) उद्यम पूँजीपतियों का दृष्टिकोण स्कन्ध बाजार विनियोक्ता तथा बैंकर से बिल्कुल भिन्न होता है।
- (7) उद्यम पूँजी अत्यधिक जोखिमी होती है।
- (8) उद्यम पूँजी दीर्घकालीन प्रकृति की होती है।
- (9) उद्यम पूँजी में तरलता का अभाव होता है।
- (10) उद्यम पूँजी प्रारम्भिक पूँजी के प्रारूप में होती है।

### उद्यम पूँजीपति की विशेषताएँ

#### (Characteristics of Venture Capitalist)

- (1) उच्च विकास दर की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के संचालन हेतु उपक्रम को वित्त उपलब्ध कराना।
- (2) उद्यम पूँजी करने के बदले सहायक प्रतिभूतियों का बन्धन स्वीकार नहीं करना।
- (3) दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन प्रतिफल की प्रत्याशा में रहना।
- (4) प्रबन्धन एवं व्यावसायिक कौशल भी प्रदान करना।

#### उद्यम पूँजी वित्त के लिए योग्यताएँ

भारत में उद्यम पूँजी कोष कम्पनियों की स्थापना एवं संचालन के लिए 18 नवम्बर, 1998 को भारत सरकार ने मार्गदर्शिकाओं का निर्गमन किया है। ये मार्गदर्शिकाएँ निम्नलिखित हैं

- (1) **स्थापना (Establishment)**- अखिल भारतीय लोक वित्तीय संस्थान, अनुसूचित बैंक तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंक एवं उनके सहायक (Subsidiaries) रिजर्व बैंक/भारत सरकार की पूर्व अनुमति से उद्यम पूँजी कोष/कम्पनियों की स्थापना कर सकते हैं।
- (2) **आकार (Size)**- उद्यम पूँजी कोष/कम्पनियों का न्यूनतम आकार 10 करोड़ रुपये होगा। यदि वह जनता से कोई को उगाहना चाहती है तो उसके प्रवर्तकों को कम-से-कम 40% अनुदान करना होगा।
- (3) **प्रौद्योगिकी (Technology)**- नई या पूर्व में प्रयोग न हो चुकी तकनीक या वह तकनीक जो अभी-अभी आई हो या जो भारत में प्रचलित तकनीक में सुधार कर सकती हो।
- (4) **विदेशी समता (Foreign Equity)**- उद्यम पूँजी कोषों/कम्पनियों में अधिकतम विदेशी समता कुल समता की 25% तक होगी। अनिवासी भारतीय को 74% तक अनुदान करने की अनुमति होगी।
- (5) **विनियोग की सीमा (Limit of Investment)**- प्रति इकाई अधिकतम विनियोजन की सीमा 10 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
- (6) **उद्यमी (Entrepreneur)**- नए व्यावसायिक या तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति जिनके पास पर्याप्त संसाधन या परियोजना के लिए वित्त न हो।
- (7) **ऋण-समता अनुपात (Debt-equity Ratio)**- न्यूनतम ऋण-समता अनुपात 1:1.5 होगा।
- (8) **संगठन (Organisation)**- उन संगठनों को सहायता दी जाती है, जिनका जोखिम दूसरों की तुलना में नई तकनीक के कारण ज्यादा होती है तथा या जिनके उद्यमी भी नये होते हैं तथा उनका आकार भी उपयुक्त होता है।
- (9) **सहायता (Assistance)**- इन उद्यम पूँजी कोषों/कम्पनियों द्वारा वित्तीय सहायता मुख्य रूप में उन नवीन उद्यमों के उद्यमियों को दी जायेगी जिनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी के अपनाये जाने के कारण अधिक जोखिम विद्यमान है।



शर्त नहीं है। 'मान्यता प्राप्त निवेशक' के बारे में द सिक्वोरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) कहता है कि, जिनकी कुल संपत्ति 10 लाख डॉलर या इससे अधिक (रहने के निजी स्थान को छोड़कर) हो, या पिछले दो सालों में 200 हजार डॉलर की आमदनी हुई हो, या शादीशुदा लोगों की कुल आय मिलाकर 300 हजार डॉलर की आमदनी की पात्रता रखता हो। हालांकि, 'मान्यता प्राप्त निवेशक' होना ऐंजल इन्वेस्टर होने का पर्यायवाची नहीं है।

- वैसे देखा जाए तो इनके पास किसी भी स्टार्टअप में निवेश करने के लिए पैसा और इच्छा दोनों होती हैं। इनका सबसे ज्यादा ऐसे स्टार्टअप स्वागत करते हैं, जिन्हें फंडिंग की ज्यादा जरूरत हो या फिर उन्हें ऑफर कमाल का लग रहा हो।

### फंडिंग के स्रोत

ऐंजल निवेशक आमतौर पर अपने स्वयं के धन का उपयोग करते हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत दूसरे तरीके के उद्यमी, कई अन्य निवेशकों से जमा किए गए धन को रणनीतिक रूप से प्रबंधित फंड में रखते हैं। हालांकि ऐंजल इन्वेस्टर इन्डिविजुअल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हो सकता है कि धन देने वाली यूनिट एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (एलएलसी), एक बिजनेस, एक ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड हो या फिर कुछ और हो।

### इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल

- वैसे स्टार्टअप जो शुरुआती चरण में फेल हो जाते हैं और उनका निवेश पूरी तरह खत्म हो जाता है, ऐंजल इन्वेस्टर ऐसे स्टार्टअप को सपोर्ट करने का काम करते हैं। यही कारण है कि ऐंजल इन्वेस्टर अधिग्रहण, एक बेहतर निकास रणनीति और आइपीओ के अवसरों की तलाश करते हैं।
- ऐंजल इन्वेस्टर के लिए एक सफल पोर्टफोलियो के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लगभग 22 प्रतिशत का होता है। हालांकि यह निवेशकों को अच्छा हो सकता है लेकिन एंटरप्रेन्योर के व्यवसाय के शुरुआती चरण के लिए महंगा प्रतीत होता है। लेकिन जब बात हो एंटरप्रेन्योर की आर्थिक मदद की तो यह तरीका आसान साबित हो सकता है क्योंकि इस तरीके के व्यवसाय के लिए बैंक आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है।
- वहीं ऐंजल निवेश वैसे एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट होता है, जो अपने व्यवसाय के शुरुआती समय में आर्थिक मदद के लिए संघर्षरत रहते हैं। ऐंजल निवेश पिछले कुछ दशकों से बढ़ा है। लाभ की वजह से कई स्टार्टअप की फंडिंग के प्राइमरी सोर्स भी बने हैं। साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा मिला है, जो कि आर्थिक उन्नति में तब्दील हो रहा है।

### अभ्यास प्रश्न

#### गत परीक्षा में आये हुए प्रश्न :-

1. स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है ? [RAS - 2021 ]
2. करिश्माई नेता की कोई चार विशेषताएँ लिखिए ? [ RAS - 2021 ]
3. निर्देश की एकता का सिद्धांत क्या है ? [RAS - 2018 ]
4. एक कम्पनी की पूँजी संरचना क्या है ? [ RAS - 2016]

#### अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

1. उद्यमपूँजी का अर्थ एवं परिभाषा को बताइये ?
2. उद्यमिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ?
3. भारत में स्टार्टअप कम्पनी क्या है ?
4. ऐंजल निवेशक कौन होते हैं ? उदाहरण सहित समझाइये ?
5. स्टार्टअप का unicom बनने से क्या फायदा है ?

4. वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण क्या है ? [RAS - 2018]
5. कोष प्रवाह विश्लेषण तकनीक क्या है ? [RAS - 2018]
6. वित्तीय विवरण विश्लेषण के कोई दो उद्देश्य बताइये । [RAS - 2016 ]
7. शुद्ध कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं ? [RAS - 2016 ]
8. उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्वि-पक्ष अवधारणा को समझाइये ? [RAS - 2021 ]
9. उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ एवं उत्तरदायित्व केन्द्रों के नाम लिखिए ? [RAS - 2016 ]

#### अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

1. दोहरा लेखांकन प्रणाली क्या है ?
2. दोहरा लेखांकन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ?
3. दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए ?
4. वित्तीय विवरण को समझाइये ?
5. वित्त के स्रोतों का वर्णन कीजिए ?
6. बैलेंसशीट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ?
7. खातों के प्रकार क्या हैं ? और उसके शेष निकालने की विधि क्या है ?
8. लेखांकन के उद्देश्यों को बताइये ?
9. लेखांकन की अवधारणा की व्याख्या करें ?

## अध्याय - 2

### अंकेक्षण

#### अंकेक्षण का अर्थ

#### (MEANING OF AUDITING)

- अंग्रेजी भाषा के शब्द आडिट (Audit) शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'आडिरे (Audire)' से बना है जिसका अर्थ है सुनना (to hear)। प्राचीन काल में हिसाब-किताब रखने की प्रणाली अपूर्ण थी। उन दिनों व्यावसायिक संस्थाएं छोटी-छोटी होती थीं और उनके पास अधिक पूंजी न होने के कारण दैनिक लेन-देन भी कम होते थे। साधारणतया वे मनुष्य जो पूंजी लगाते थे, वे ही संस्था का हिसाब-किताब देखते थे। उस समय अंकेक्षण का कार्य लेखपालकों द्वारा लेखा पुस्तकों में किये गये लेखों को सुनकर किया जाता था। इस प्रक्रिया में लेखपाल द्वारा किये गए अपने सभी लेन देन के लेखों को किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष सुनाया जाता था। वह अधिकृत व्यक्ति जिसे न्यायाधीश या अंकेक्षक कहा जाता था। वह लेखों को सुनने के बाद अपना मत देता था तथा आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण भी कराता था।
- एक कम्पनी के खातों के वैधानिक अंकेक्षण की पृष्ठभूमि में स्पष्ट धारणा यह है कि एकाकी व्यापार व साझेदारी फर्म में संस्था का स्वामित्व व प्रबन्ध एक ही होता है। अंकेक्षण में प्रबन्ध के द्वारा किये गये कार्यकलाप तथा लेखों की जांच स्वामी की ओर से करायी जाती है। इसके विपरीत, कम्पनी में प्रबन्ध व स्वामित्व अलग-अलग होते हैं क्योंकि उसका प्रबन्ध संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है, जबकि अंशधारी कम्पनी के स्वामी होते हैं। इस प्रकार, कम्पनी के स्वामी अर्थात् अंशधारी अपने हितों के संरक्षण के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं तथा कम्पनी के कार्यों की जांच करवाकर अंकेक्षक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनके हित-संरक्षण के लिए ही कम्पनी के खातों के अंकेक्षण की अनिवार्यता की गयी है।

#### अंकेक्षण का विकास

#### (ORIGIN OF AUDITING)

- (1) सन् 1494 से पूर्व वास्तव में अंकेक्षण की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई। यों तो यूनान तथा रोम के साम्राज्यों के समय में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि वहां राजकीय हिसाब-किताब (public accounts) की जांच करने के उपाय प्रचलित थे, पर ये उपाय सभी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं किये गये थे। जिन मनुष्यों को हिसाब-किताब की जांच करने का कार्य दिया जाता था, वे 'ऑडिटर' कहलाते थे। अंग्रेजी शब्द 'ऑडिटिंग' लैटिन भाषा के 'ऑडियर' (audire) शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है, 'सुनना' (to hear)। प्रारम्भिक युग में प्रायः यह प्रथा बन गयी थी कि हिसाब-किताब रखने वाले व्यक्ति अनुभवी तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के पास जाते थे और वे उन हिसाबों को सुनने के पश्चात् अपना निर्णय देते थे। प्रायः न्यायाधीश इस

कार्य को करते थे। अतः उस समय न्यायाधीश ही अंकेक्षक (auditor) कहलाते थे।

(2) 1494 से 1914 तक जैसे-जैसे हिसाब-किताब रखने की प्रणाली में परिवर्तन तथा सधार होते गये, वैसे-वैसे जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। सन् 1494 में इटली देश के वेनिस शहर के निवासी ल्यूका पेसिओलो (Luca Paciolo) ने दोहरी लेखा प्रणाली (Double Entry System of Book-Keeping) को जन्म दिया। परिणामस्वरूप हिसाब-किताब रखने की एक व्यवस्थित प्रणाली मिल गयी जिसके द्वारा व्यापार का प्रत्येक लेन-देन पुस्तकों में ठीक प्रकार से लिखा जा सकता था। इसी के साथ-साथ एक विशेष घटना इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति थी, जिसके कारण व्यापार का स्वरूप बढ़ गया और बड़े पैमाने की व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना होने लगी। अधिक पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एकाकी व्यापार के स्थान पर साझेदारी संस्थाएं एवं संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियां बनने लगीं।

- सन् 1844 में इंग्लैंड में कम्पनी अधिनियम के द्वारा कम्पनियों के लिए चिट्ठा बनाने तथा उनका अंकेक्षण कराने को वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। उन्नीसवीं शताब्दी में जब से व्यापार तथा उद्योग-धन्धों का विस्तार हुआ, तभी से अंकेक्षण की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। उसका महत्त्व इतना बढ़ गया कि अंकेक्षण के बिना हिसाब-किताब अविश्वसनीय माने जाते थे। इसीलिए शायद सन् 1900 में इंग्लैंड में कम्पनी अधिनियम पास करके यह प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक कम्पनी अपने हिसाब-किताब की जांच के लिए अनिवार्य रूप से अंकेक्षक की नियुक्ति करेगी।
- इंग्लैंड में 11 मई, 1880 को इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स (Institute of Chartered Accountants) की स्थापना हुई। इस संस्था का कार्य अंकेक्षक तैयार करना था। भारत में पहले अंकेक्षक बनने के लिए प्रायः लोग इसी संस्था का सहारा लेते थे। जनवरी 1923 में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एकाउण्टेंट्स एंड ऑडिटर्स (British Association of Accountants and Auditors) के नाम से एक अन्य संस्था बनी। इस संस्था से परीक्षा पास कर लेने वाला व्यक्ति भारत में भी अंकेक्षक बन सकता था।

### भारत में अंकेक्षण

#### (AUDITING IN INDIA)

(1) सन् 1914 से पूर्व भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1882 में सर्वप्रथम कम्पनी अंकेक्षण से सम्बन्धित व्यवस्था दी गयी है। इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सन्निहित तालिका 'ए' (Table 'A') के 83 तक के नियमों में कम्पनी अंकेक्षण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है। इस तालिका में 93वें नियम के अनुगत 1 अंकेक्षक अपनी सहायता के लिए कम्पनी के व्यय पर लेखापाल की नियुक्ति कर सकता था। इस अंकेक्षक

के लिए उस समय अच्छा लेखापाल होना आवश्यक नहीं था। यह इससे स्पष्ट होता है।

- (2) सन् 1914 से 1932 तक भारत में अंकेक्षण का इतिहास 1 अप्रैल, 1914 से प्रारम्भ 1 जबकि भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (Indian Companies Act, 1913) लागू हुआ। 20 कम्पनियों के हिसाब-किताब का अंकेक्षण अनिवार्य हो गया। सन् 1913 से पूर्व अंकेक्षण का कार्य कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गयी थी। प्रान्तीय (अब राज्य सरकारों में सबसे पहले बम्बई 'ने सन् 1918 में लेखाकर्म तथा अंकेक्षण की शिक्षा का प्रबन्ध किया। वह जी. डी. ए. (G.D.A.) (Government Diploma in Accountancy) देने लगी।
- (3) सन् 1932 से 1949 सन् 1932 तक इस शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकारों के हाथ में था। तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और इसके लिए ऑडिटर्स सर्टिफिकेट रूल्स (Auditors | Certificate Rules) बनाये। इन नियमों के आधार पर रजिस्टर्ड एकाउण्टेंट (Registered Accountant) अर्थात् आर. ए. (R.A.) की उपाधि दिये जाने की व्यवस्था की गयी। अंकेक्षण की शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह। दन के लिए एक इण्डियन एकाउण्टेंसी बोर्ड (Indian Accountancy Board) की स्थापना की गयी। इस बोर्ड में प्रायः वे ही व्यक्ति लिए जाते थे, जो लेखाकार्य में अनुभवी तथा दक्ष होते थे। पहले सरकार ही केवल इसके सदस्य नामजद करती थी, पर 1 जुलाई, 1939 से चुनाव के द्वारा भी सदस्य चुने जाने लगे। एक उल्लेखनीय प्रयास इस सम्बन्ध में यह है कि भारत सरकार ने 1 मई, 1948 को एक प्रस्ताव पास करके लेखा-विशेषज्ञ समिति की स्थापना की जिसने अपनी रिपोर्ट 4 जुलाई, 1948 को प्रस्तुत की तथा सिफारिश की कि देश में कानून के द्वारा 'इन्स्टीट्यूट ऑफ एकाउण्टेंट्स' की स्थापना की जाए।
- (4) सन् 1949 से 1956 तक सन् 1949 में चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स एक्ट (Chartered Accountants Act), 1949 पास हुआ जो 1 जुलाई 1949 से लागू हुआ। इस अधिनियम के पास हो जाने से इस शिक्षा का संचालन, प्रबन्ध तथा नियंत्रण केन्द्रीय सरकार से हटकर एक संस्था के हाथ में चला गया जो इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स के नाम से इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाई गयी। अब अंकेक्षक बनने के लिए इस संस्था के नियमों का पालन करना पड़ता है और नियमानुसार परीक्षा देने के बाद ही कोई व्यक्ति इससे 'चार्टर्ड एकाउण्टेंट' का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है। इस इन्स्टीट्यूट का प्रबन्ध करने के लिए अलग से एक परिषद् बनायी गयी है। इस परिषद् के लिए इन्स्टीट्यूट के सदस्यों में से चुने हुए 24 सदस्य (जो fellows में से ही होंगे) होते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा 6 व्यक्ति परिषद् के लिए नामजद किये जाते हैं। इन्स्टीट्यूट के सम्पूर्ण कार्य का संचालन इसी परिषद् के द्वारा किया जाता है।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -  (Proof Video Link)

**RAS PRE. 2021** - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)

**RAS Pre 2023** - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)

**Rajasthan CET Gradu. Level** - <https://youtu.be/gPqDNlc6URO>

**Rajasthan CET 12th Level** - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

**RPSC EO / RO** - <https://youtu.be/b9PKj14nSxE>

**VDO PRE.** - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

**Patwari** - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

**PTI 3<sup>rd</sup> grade** - [https://www.youtube.com/watch?v=iA\\_MemKKgEk&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s)

**SSC GD - 2021** - <https://youtu.be/2gzzfJyt6vl>

<b>EXAM (परीक्षा)</b>	<b>DATE</b>	<b>हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या</b>
<b>RAS PRE. 2021</b>	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
<b>RAS Mains 2021</b>	October 2021	52% प्रश्न आये
<b>RAS Pre. 2023</b>	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
<b>SSC GD 2021</b>	16 नवम्बर	68 (100 में से)





whatsapp - <https://wa.link/uwc5lp> 1 web.- <https://bit.ly/3X6MGue>

<b>SSC GD 2021</b>	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
<b>RPSC EO/RO</b>	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	14 सितम्बर	119 (200 में से)
<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसम्बर (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसम्बर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसम्बर (2 <sup>nd</sup> शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1 <sup>st</sup> शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	89 (160 में से)
<b>Raj. CET Graduation level</b>	07 January 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	96 (150 में से)
<b>Raj. CET 12<sup>th</sup> level</b>	04 February 2023 (1 <sup>st</sup> शिफ्ट)	98 (150 में से)





**& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.**

# Our Selected Students



Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	<b>Mohan Sharma</b> S/O Kallu Ram	Railway Group - d	11419512037002 2	PratapNag ar Jaipur
	<b>Mahaveer singh</b>	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	<b>Sonu Kumar Prajapati</b> S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier- 1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	<b>Mahender Singh</b>	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumang arh
	<b>Lal singh</b>	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumang arh
N.A	<b>Mangilal Siyag</b>	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	<b>MONU S/O KAMTA PRASAD</b>	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	<b>Mukesh ji</b>	RAS Pre	1562775	newai tonk
	<b>Govind Singh S/O Sajjan Singh</b>	RAS	1698443	UDAIPUR
	<b>Govinda Jangir</b>	RAS	1231450	Hanumang arh
N.A	<b>Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma</b>	RAS	N.A.	Churu
	<b>DEEPAK SINGH</b>	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawa la
N.A	<b>LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL</b>	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	<b>Ramchandra Pediwal</b>	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

	<b>Monika jangir</b>	RAS	N.A.	jhunjhunu
	<b>Mahaveer</b>	RAS	1616428	village- gudaram singh, teshil-sojat
N.A.	<b>OM PARKSH</b>	RAS	N.A.	Teshil- mundwa Dis- Nagaur
N.A.	<b>Sikha Yadav</b>	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	<b>Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel</b>	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A.	<b>mukesh kumar bairwa s/o ram avtar</b>	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUN U
N.A.	<b>Rinku</b>	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	<b>Rupnarayan Gurjar</b>	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	<b>Govind</b>	SSB	4612039613	jhalawad



	<b>Jagdish Jogi</b>	EO/RO Marks) (84	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	<b>Vidhya dadhich</b>	RAS Pre.	1158256	kota

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें - <https://wa.link/uwc5lp>

Online order करें - <https://bit.ly/3X6MGue>

Call करें - **9887809083**